

## सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान मामले को केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया

**प्रासंगिकता:** GS3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

**मुख्य वाक्यांश:** एंडोसल्फान संदूषण, संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम कन्वेंशन 2011, पीड़ितों के लिए लगातार जैविक प्रदूषक (पीओपी) मुआवजा,

**प्रसंग:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मई को केरल उच्च न्यायालय को एंडोसल्फान संदूषण के पीड़ितों के लिए चिकित्सा और उपशामक देखभाल प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा किए गए उपायों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी।
- अदालत ने मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। उसने केरल के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह इस मामले को अपनी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे या किसी अन्य पीठ को सौंपे।
- शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 अगस्त को कासरगोड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह एंडोसल्फान पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा और उपशामक देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण करे।
- यह आदेश पीड़ितों द्वारा जिला प्रशासन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की कमी की शिकायत के बाद आया था।

**क्या है केरल की एंडोसल्फान त्रासदी का मुद्दा?**

- एंडोसल्फान एक कीटनाशक है जिसका व्यापक रूप से केरल के कासरगोड जिले में 70 के दशक के मध्य से 2011 तक काजू, कपास, चाय, और धान की फसलों को सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए छिड़काव किया गया था।
- एंडोसल्फान में रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अन्य स्वास्थ्य प्रभावों जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी, देर से यौन परिपक्वता, शारीरिक विकृति, और विषाक्तता हो सकती है।
- यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निरोधात्मक रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करने और मानसिक मंदता का कारण बनने के लिए भी जाना जाता है।
- लोगों में विकृति, पक्षाघात और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं की रिपोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में कीटनाशक के उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया।
- संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम कन्वेंशन 2011 के बाद से कीटनाशक पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

**SC ने पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश-**

- 2017 में, SC ने केरल सरकार को एंडोसल्फान त्रासदी के 5,000 से अधिक पीड़ितों को मुआवजे के रूप में तीन महीने में 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह स्वास्थ्य के अधिकार को 2000 करोड़ रुपये वितरित करे। पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये, साथ ही उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करें।
- मई 2023 तक, लगभग 5000+ पीड़ितों में से केवल आठ को ही मुआवजा मिला था।
- इससे पहले मई 2022 में एक अवमानना याचिका में, न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह कहते हुए राज्य को फटकार लगाई थी कि केरल सरकार ने "लगभग पांच साल तक कुछ नहीं किया।

**पीओपी पर स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है?**

इस पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह मई 2004 से प्रभावी हो गया था।

कन्वेंशन का उद्देश्य लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना है जो रासायनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं, खाद्य वेब के माध्यम से जैव-संचय करते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने का जोखिम पैदा करते हैं।

### भारत और स्टॉकहोम कन्वेंशन:

- भारत ने अनुच्छेद 25(4) के अनुसार 13 जनवरी, 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की, जिसने इसे स्वयं को एक डिफॉल्ट "ऑफ-आउट" स्थिति में रखने में सक्षम बनाया, ताकि सम्मेलन के विभिन्न अनुलग्नकों में संशोधन को तब तक लागू नहीं किया जा सके जब तक कि कोई अनुसमर्थन/स्वीकृति/अनुमोदन या परिग्रहण का साधन स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र निक्षेपागार के पास जमा किया जाता है।
- अनुसमर्थन प्रक्रिया भारत को एनआईपी (राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना) को अद्यतन करने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
- अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध सात (7) रसायनों के अनुसमर्थन को मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने घरेलू विनियमों के तहत पहले से ही विनियमित पीओपी के संबंध में केंद्रीय विदेश मामलों (एमईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमईएफसीसी) के केंद्रीय मंत्रियों को स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत रसायनों की पुष्टि करने के लिए अपनी शक्तियां सौंपी हैं, जिससे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।
- एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और मानव स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत 5 मार्च, 2018 को 'लगातार जैविक प्रदूषकों के विनियमन' को अधिसूचित किया। विनियम अन्य बातों के साथ-साथ सात रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात पर रोक लगाता है, अर्थात् (i) क्लोर्डेकोन, (ii) हेक्साब्रोमोबिफिनाइल, (iii) हेक्साब्रोमोडिफेनिल ईथर और हेप्टाब्रोमोडिफेनिलथर (वाणिज्यिक ऑक्टा-बीडीई), (iv) टेट्राब्रोमोडिफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमोडिफेनिल ईथर (वाणिज्यिक पेंटा-बीडीई), (v) पेंटाक्लोरोबेंजीन, (vi) हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन, और (vii) हेक्साक्लोरोबुटाडीन, जो पहले से ही स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत पीओपी के रूप में सूचीबद्ध थे।
- पीओपी के अनुसमर्थन के लिए कैबिनेट की मंजूरी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नियंत्रण उपायों को लागू करने, अनजाने में उत्पादित रसायनों के लिए कार्य योजनाओं को विकसित करने और लागू करने, रसायनों के भंडार की सूची विकसित करने और समीक्षा करने के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (एनआईपी) को अद्यतन करने के द्वारा पीओपी पर कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को भी इंगित करता है।

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत ने 13 जनवरी, 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की।
2. अनुसमर्थन प्रक्रिया भारत को राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना को अद्यतन करने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।

सही विकल्प का चयन करें।

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों सही
- d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- भारत ने अनुच्छेद 25(4) के अनुसार 13 जनवरी, 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की थी, जिसने इसे खुद को डिफॉल्ट "ऑफ-आउट" स्थिति में रखने में सक्षम बनाया, ताकि कन्वेंशन के विभिन्न अनुलग्नकों में संशोधन को तब तक लागू नहीं किया जा सके जब तक कि अनुसमर्थन/स्वीकृति/अनुमोदन या परिग्रहण का एक साधन स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र निक्षेपागार के पास जमा किया जाता है।
- अनुसमर्थन प्रक्रिया भारत को NIP (राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना) को अद्यतन करने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम बनाएगी।

**मुख्य परीक्षा प्रश्न:**

Q. पीओपी पर स्टॉकहोम कन्वेंशन पर चर्चा करें। साथ ही, केरल में एंडोसल्फान त्रासदी के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। (150 शब्द)